फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

कल्याण वगै0 बनाम भौरीदेवी वगै0

मा संख्या : 115/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 28.10.2025 को पेश हों।	
28.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद पत्र वादी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 261 रकबा 0.58है0 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 03.09.2021 को प्रस्तुत किया है जबकि उक्त भूमि बाबत ही अप्रार्थी सं0 1 का वाद सं0 94/2021 उनवानी भौरी देवी बनाम कल्याण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत दिनांक 28.07.2021 को प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा प्रतिवादीगणों की तामील दिनांक 03.08.2021 को जरिये रजि0 ए0डी0 करवा दी गई जो कि उक्त वाद पत्र की सूचना अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गई थी, के बावजूद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा का विचाराधीन होने व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में समस्थ अप्रार्थीगण पाबन्द होने की सूचना अप्रार्थीगण को प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थी कल्याण द्वारा उक्त पूर्व वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के तथ्यों को छिपाते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा को नवीन वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञ प्रस्तुत कर स्टे प्राप्त कर लिया व प्रार्थी के बुर्जुगान के समय से ही कब्जे काश्त की भूमि मे व्यवधान उत्पन्न कर रहे है जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी के विवाद विषय एक ही है पूर्व संसथित वाद/प्रार्थना पत्र में प्रत्यक्षः और सारतः विवाद है जब तक प्रार्थी का वाद बाबत घोषणा का माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है तो अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बाद में प्रस्तुत किये गये वाद पत्र/प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी से बाधित होने के कारण उक्त वाद/प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को रोक दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः पूर्व संसथित वाद/प्रार्थना पत्र की जानकारी प्रार्थी को रही है उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत प्रार्थी को कोई हक अधिकार था तेा प्रार्थी उक्त पूर्व संसथित वाद मु0 सं0 94/2021 मे अपना जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता था। लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद व पूर्वतन संसथित वाद में प्रत्यक्षः ओर सारतः विवाध एक ही है व वादग्रस्त आराजी भी एक ही है ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी से बाधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोक दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी स 0 1 ने खसरा नम्बर 261 रकबा 0.58है0 ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जवमारामगढ के संबंध में एक प्रार्थना सं0 94/2021 उनवानी भौरी देवी बनाम कल्याण वगै0 के तहत दिनांक 28.07.2021 को पेश करना अवगत कराया है। जिसमें अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय अनुसार विधित है। जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण बाबत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर वर्तमान मौजूद खातेदार काश्तकारों को पाबन्द करने का निवेदन किया है। अतः पत्रावली में प्रस्तुत मे प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी को खारिज किया जावें।	

पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि वादांकित भूमि के संबंध मे पूर्व में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा एक वाद सं0 94/2021 उनवानी भौरी देवी बनाम कल्याण वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत दिनांक 28.07.2021 को पेश किया गया है तथा वादी द्वारा भी उक्त वादांकित भूमि के संबंध में उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2021 को पेश किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि मु0 नं0 94/2021 पहले पेश किया गया है। अतः बाद में प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र को पूर्व में प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र के साथ हमफिता कर एक साथ सुनवाई करना आवश्यक है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर इस वाद पत्र सं0 115/2021 व प्रार्थना पत्र सं0 115/2021 की कियान्विति इसी स्तर पर स्थगित रखी जाती है तथा पूर्व में प्रस्तुत वाद सं0 94/2021 उनवान भौरी देवी बनाम कल्याण वगै0 व मूल प्रार्थना पत्र के साथ हमफिता करने के आदेश दिये जाते है।